बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

आदेश

रशिदिया रानी सागरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज, चाँद, वाजीपुर, बेलागंज, गया को ERC, NCTE, नई दिल्ली के आदेश ज्ञापांक–**ERC/7-113.4.29/2010/5985,** दिनांक 23.11.2010 के द्वारा शैक्षणिक सत्र–2010–11 से 01 यूनिट (50) सीटों हेतु मान्यता प्रदान की गयी है।

2 उक्त मान्यता के आलोक में संस्था को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमण, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 यथा संशोधित 2018 में निर्दिष्ट प्रावधानों के आलोक में समिति के पत्रांक–टी0टी0प्रे0–749 / 18, दिनांक 18.08.2018 के द्वारा शैक्षणिक सत्र–2010–11 से 01 बेसिक यूनिट (50) के लिए समिति से सम्बद्ध (**Deemed to be affiliated**) घोषित किया गया है।

3 जांच के क्रम में पाया गया कि संस्था की भूमि दो टुकड़ों में है, जिसमें से एक अंश का रकबा 31 डिसीमल है, जो निजी लीज के आधार पर संस्था को 30 वर्षों के लिए प्राप्त है। लीज अभिलेख में लीजदाता का नाम रबीना खातून, पत्नी– मो0 रफीक आलम, चांद वाजितपुर, बेलागंज, गया अंकित है। संस्था की जमीन का दूसरा अंश, रकबा 15 कट्ठा है, जो संस्था को दान के रूप में प्राप्त हुआ है। दान पत्र में दानदाता का नाम मो0 रफीक आलम, पिता– स्व0 अबदुल्लाह, चांद वाजितपुर, बेलागंज अंकित है। दानपत्र निबंधित नहीं है। दोनों भू–अभिलेखों (लीज एवं दान पत्र) में अंकित भूमि की चौहद्दी से यह स्पष्ट नहीं है कि लीज से प्राप्त और दान में प्राप्त भूमि की चौहद्दी आपस में मिलती है कि नहीं, अर्थात् संस्था की भूमि एक सुनिर्धारित चाहरदीवारी के अंतर्गत एक भू–खण्ड के रूप में है कि नहीं?

4 एन0सी0टी0ई0 विनियम 2014 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 में निजी लीज के आधार पर प्राप्त भूमि पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान संचालित करने का कोई प्रावधान नहीं है। संस्था की भूमि का एक अंश, जो दान में प्राप्त है, निबंधित नहीं है अर्थात् भूमि के इस अंश को नियमानुसार संस्था की भूमि नहीं मानी जा सकती।

5 उक्त तथ्यों के आलोक में समिति के पत्रांक 642, दिनांक 12.11.2022 के द्वारा संस्था को एक माह के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

6 उक्त नोटिस के आलोक में संस्थान द्वारा पत्रांक–41 एवं 42 दिनांक 16.12.2022 के माध्यम से भूमि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराया गया। उपलब्ध करायी गयी भू–अभिलेख के समीक्षोपरांत निम्नांकित तथ्य पाये गये :–

(क) संस्था द्वारा एक दान पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसका डीड सं0–8402, दिनांक 12.12.2022 है। इस दान पत्र में भूमि का रकबा–56.25 डी0 तथा भूमि का थाना सं0–376, खाता सं0–44 (पुराना) 98 (नया), प्लॉट नं0–430 (पुराना) 1055 (नया), चौहद्दी–उत्तर में राधा देवी, दक्षिण में पिंड, पूर्व में मो0 रिजवान ओर पश्चिम में सोमर दुसाध एवं रामावतार महतो अंकित है। पूर्व के दान पत्र में भूमि को परती बताया गया है।

(ख) संस्था द्वारा समर्पित नये दान पत्र में भू–विवरण पूर्व में दान पत्र में प्राप्त भूमि के समान है, परन्तु रकबा 15 कट्ठा के जगह 56.25 डी0 अंकित है, जो मानक से कम है। संस्थान का भवन निजी लीज के आधार प्राप्त भूमि पर अवस्थित रहने का उल्लेख पूर्व में समर्पित निजी लीज के अभिलेख में है। निजी लीज अभिलेख में अंकित है कि भूमि पर 1500 वर्गमीटर में संस्थान का भवन निर्मित है और 1000 वर्गमीटर जमीन परती है। भवन का निर्मित क्षेत्र निर्धारित मानक (3000 वर्गमीटर) से कम है।

7 उक्त त्रुटियों के आलोक में संस्था को पत्रांक–699, दिनांक 30.12.2022 द्वारा पुनः नोटिस किया गया। नोटिस को निबंधित डाक एवं ई–मेल के माध्यम से संस्था को प्रेषित करते हुए संस्था की भूमि निजी लीज पर रहने, नये दान पत्र में भी संस्था के भवन का उल्लेख नहीं रहने (जमीन का परती रहना), भवन का निर्मित क्षेत्र कम रहने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः 07 दिनों का समय प्रदान किया गया, परन्तु निर्धारित अवधि के व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संस्था द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

8 इससे स्पष्ट होता है कि संस्थान का भवन निजी लीज की भूमि पर अवस्थित है तथा भवन का निर्मित क्षेत्र मात्र 1500 वर्गमीटर है, जो एन0सी0टी0ई0 विनियमावली 2014 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निगर्मन मानदण्ड तथा प्रक्रिया) विनियमावली 2016 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है।

9.. दिनांक 09.01.2023 को आहूत राज्य स्क्रीनिंग समिति की बैठक में संस्था के मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि संस्थान एन0सी0टी0ई0 विनियमावली 2014 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन, संबद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के प्रावधानों तथा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा नहीं करता है। स्क्रीनिंग कमिटि द्वारा संस्था को डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम हेतु प्रदत्त सम्बद्धता को शैक्षणिक सत्र 2023–25 से वापस लेने की अनुशंसा की गई है।

उक्त परिपेक्ष्य में दिनांक 28.01.2023 को सम्पन्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में विषय सं0–50 के रूप में स्क्रीनिंग कमिटि की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई। समिति के उक्त निर्णय के आलोक में शैक्षणिक सत्र–2023–25 से रशिदिया रानी सागरी टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन कॉलेज, चाँद, बाजीपुरी, बेलागंज, गया के डी0एल0एड0 कोर्स हेतु 01 बेसिक यूनिट के लिए समिति के पत्रांक– टी0टी0प्रे0– 749 / 18, दिनांक 18.08.2018 से प्रदत्त सम्बद्धता को वापस लिया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0 /

(नील कमल)

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– टी0टी0सेल–787 / 17–..........., दिनांक .... / 2023

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय निदेशक, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE), जी0–7, सेक्टर–10, द्वारिका, नई दिल्ली–110075 सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संस्थान की मान्यता को मान्यता सत्र–2023–25 से रद्द करने की कार्रवाई की जाय।

ह0 / –

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांक : टी0टी0सेल–787 / 17–..........., दिनांक .... / 2023

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य, रशिदिया रानी सागरी टीचर्स एजुकेशन कॉलेज, चाँद, बाजीपुर, बेलागंज, गया–804403 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0 / –

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– टी0टी0सेल–787 / 17–..........., दिनांक .... / 2023

प्रतिलिपिः–परीक्षा नियंत्रक (विविध), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति / अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

ज्ञापांकः– टी0टी0सेल–787 / 17–37, दिनांक 04/02 / 2023

प्रतिलिपिः–निदेशक (आई0टी0), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ तथा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे समिति के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक (शैक्षणिक)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

4-2-2023